न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
100/2024	2024/277	03.07.2024	10.04.2026

शीर्षक

माया देवी पत्नि शेराराम, जाति चमार, निवासी टाकडी, तहसील बावल, जिला रेवाडी हरियाणा, जरिये मुख्तयार शैलेन्द्र सिंह पुत्र हनुमंत सिंह जाति राजपूत निवासी बी–98, दयानन्द कॉलोनी मदर डेयरी के पास, लाजपत नगर–4, दक्षिणी दिल्ली, दिली 110024

वादी

बनाम

1. अन्नू पुत्री सुवालाल
2 देवेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल
3 दीपक पुत्र सुवालाल
4 नरेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल
5 बाबूलाल पुत्र सुवालाल
6 मीना देवी पत्नि स्व० सुवालाल
7 कैलाशचन्द पुत्र कजोड
8 मुकेश कुमार पुत्र कजोड
9 कृष्णा देवी पुत्री कजोड
10 काजल देवी पत्री कजोड
11 पुष्पा देवी पुत्री कजोड
12 बादामी देवी पत्नि स्व० कजोड जातियान बलाई, निवासी ग्राम मण्ढा, तहसील पावटा, जिला कोटपुतली–बहरोड राजस्थान
13 कलावती पुत्री सुरजमल
14 मूर्ति पुत्री सुरजमल
15 प्रभाती देवी पत्नि स्व सुरजमल
16 बनवारी पुत्र सुरजमल
17 मुखराम पुत्र सुरजमल
18 पप्पूराम पुत्र सुरजाराम
19 बिहारीलाल पुत्र सुरजाराम
20 रतीराम पुत्र सुरजाराम
21 सुगना पुत्र प्रभात जातियान चमार, निवासी बालावास, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
22 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, कोटपूतली–बहरोड
23 सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

1. वादीया की तरफ मुख्तयार कर्ता शैलेन्द्र सिंह पुत्र हनुमंत सिंह की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1574/0.61, 1575/0.59 कुल किता 02 रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि वाके मौजा मंढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। उक्त आराजी के वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 21 सहखातेदार काश्तकार काबिज है तथा उक्त आराजी में वादीयात का हिस्सा 1/2 है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. वादीया द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 1574/0.61, 1575/0.59 कुल किता 02 रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि वाके मौजा मंढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तल्ब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड डाक सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 08, 12 के खिलाफ दिनांक 06.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। शेष प्रतिवादीगण की अखबार साया से तल्बी जारी की गई। बावजूद अखबार साया तामिल (पंजाब केशरी दिनांक 09.08.2025) बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07, 09, 10, 11 एवं 13 लगायत 21 के खिलाफ 30.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 06.11.2025 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

3. दिनांक 26.02.2026 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद का डिक्री फरमाया जाने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

4 अतः वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1574/0.61, 1575/0.59 कुल किता 02 रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि वाके मौजा मंढा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	माया देवी पत्नि शेराराम हि0 पूर्ण जाति चमार	1575 रकबा 0.59, 1574/1 रकबा 0.01 हैक्ट0 भूमि।
2	कैलाशचन्द मुकेश पु0 कजोड, कृष्णा काजल पुष्पा पु0 कजोड, बादामी पत्नि कजोड हि0 1/7 जाति बलाई सा. देह देवेन्द्र दीपक नरेन्द्र बाबूलाल पु0 सुवालाल, अन्नू पुत्री सुवालाल, मीना देवी पत्नी सुवालाल हि. 1/42 जाति बलाई सा.देह बनवारी मुखराम पु0 सुरजमल, कलावति मूर्ति पु0 सुरजमल प्रभाति पत्नि सुरजमल हि. 1/6 जाति चमार सा. बालावास पप्पूराम बिहारीलाल रतीराम पु0 सुरजाराम हि0 1/3 जाति चमार सा. बालावास सुगना पुत्र प्रभात हि0 1/3 जाति चमार सा. बालावास	1574/2 रकबा 0.60 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
100/2024	2024/277	03.07.2024	10.04.2026

शीर्षक

माया देवी पत्नि शेराराम, जाति चमार, निवासी टाकडी, तहसील बावल, जिला रेवाडी हरियाणा, जरिये मुख्तयार शैलेन्द्र सिंह पुत्र हनुमंत सिंह जाति राजपूत निवासी बी–98, दयानन्द कॉलोनी मदर डेयरी के पास, लाजपत नगर–4, दक्षिणी दिल्ली, दिली 110024

वादी

बनाम

1. अन्नू पुत्री सुवालाल
2 देवेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल
3 दीपक पुत्र सुवालाल
4 नरेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल
5 बाबूलाल पुत्र सुवालाल
6 मीना देवी पत्नि स्व० सुवालाल
7 कैलाशचन्द पुत्र कजोड
8 मुकेश कुमार पुत्र कजोड
9 कृष्णा देवी पुत्री कजोड
10 काजल देवी पत्री कजोड
11 पुष्पा देवी पुत्री कजोड
12 बादामी देवी पत्नि स्व० कजोड जातियान बलाई, निवासी ग्राम मण्ढा, तहसील पावटा, जिला कोटपुतली–बहरोड राजस्थान
13 कलावती पुत्री सुरजमल
14 मूर्ति पुत्री सुरजमल
15 प्रभाती देवी पत्नि स्व सुरजमल
16 बनवारी पुत्र सुरजमल
17 मुखराम पुत्र सुरजमल
18 पप्पूराम पुत्र सुरजाराम
19 बिहारीलाल पुत्र सुरजाराम
20 रतीराम पुत्र सुरजाराम
21 सुगना पुत्र प्रभात जातियान चमार, निवासी बालावास, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
22 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, कोटपूतली–बहरोड
23 सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

अतः वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1574/0.61, 1575/0.59 कुल किता 02 रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि वाके मौजा मंढा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	माया देवी पत्नि शेराराम हि0 पूर्ण जाति चमार	1575 रकबा 0.59, 1574/1 रकबा 0.01 हैक्ट0 भूमि।
2	कैलाशचन्द मुकेश पु0 कजोड, कृष्णा काजल पुष्पा पु0 कजोड, बादामी पत्नि कजोड हि0 1/7 जाति बलाई सा. देह देवेन्द्र दीपक नरेन्द्र बाबूलाल पु0 सुवालाल, अन्नू पुत्री सुवालाल, मीना देवी पत्नी सुवालाल हि. 1/42 जाति बलाई सा.देह बनवारी मुखराम पु0 सुरजमल, कलावति मूर्ति पु0 सुरजमल प्रभाति पत्नि सुरजमल हि. 1/6 जाति चमार सा. बालावास पप्पूराम बिहारीलाल रतीराम पु0 सुरजाराम हि0 1/3 जाति चमार सा. बालावास सुगना पुत्र प्रभात हि0 1/3 जाति चमार सा. बालावास	1574/2 रकबा 0.60 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला कोटपूतली-बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	